राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः–एफ.3( )पो/ए.जी./निलेप/2006–11/ICDS/2011/ जयपुर, दिनांकः

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः–मातृ समितियों को उपलब्ध कराई गई अग्रिम राशि की वसूली के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 2006–2011 तक की समीक्षात्मक अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिये गये आक्षेप के क्रम में जिन मातृ समितियों /अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा गरम पूरक पोषाहार की आपूर्ति बन्द कर दी गई है, उनको उपलब्ध कराई गई अग्रिम राशि की वसूली कर बजट मद 8672–00–101–00–00 में जमा कराने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

कुछ बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा उक्त बजट मद ई–ग्रास की साईट पर प्रदर्शित नहीं होना बताते हुए राशि जमा कराने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ई–ग्रास की साईट पर क्रम सं. 100239 Joint Secretary, Finance (Budget) Department, Jaipur पर बजट मद 8672–00–101–00–00 प्रदर्शित है।

अतः जिन मातृ समितियों /अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा गरम पूरक पोषाहार की आपूर्ति बन्द कर दी गई है, उनको उपलब्ध कराई गई अग्रिम राशि की अविलम्ब वसूली कर बजट मद 8672–00–101–00–00 में चालान द्वारा जमा कराकर सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करावें।

Sd/-
(आर.एस.मीना)
अति. निदेशक (पो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।

क्रमांकः–एफ.3( )पो/ए.जी./निलेप/2006–11/ICDS/2011/47647 जयपुर, दिनांकः 23-5-14

प्रतिलिपि– प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(आर.एस.मीना)
अति. निदेशक (पो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in